रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1983/पौष 27, 1904
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, JAN. 17, 1983/PAUSA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1983

का० आ० 17(अ).—केन्द्रीय सरकार मीटरयान (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को धारा 12 (ख) और 24 (क) के प्रवृत्त होने की तारीख नियोरित करती है।

[सं० टीजीएम (70)/78]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 1983

S.O. 17 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1978 (47 of 1978), the Central Government hereby appoints the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date on which the provisions of sections 12(b) and 24(a) shall come into force.

[No. TGM(70)/78]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983